खण्ड प्रथम अलवर से जो पत्र व्यवहार किया गया है एवं जो दस्तावेज पेश किये गये हैं उनमें इसी तरह की फर्जकारी की हुई है, कार्यवाही की जावे,..... आदि।

उक्त रिपोर्ट पर एफ आई आर नंबर 369/2019 दर्ज कर तफ्तीश प्रारम्भ की गई। केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अब तक दौराने अनुसंधान एकत्रित साक्ष्य के आधार पर अभियक्ता के खिलाफ जुर्म धारा 420, 467, 468, 471, 120–बी, भा.दं.सं. का अपराध मुकामी पुलिस ने प्रथम दृष्टया बनना माना है।

प्रकरण में परिवादी व आरोपीगण के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है, जिस राजीनामा की प्रति जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थिया द्वारा एक शपथपत्र भी इस आशय का पेश किया गया है कि राजीनामा के तहत परिवादी के मकान वाके स्कीम नंबर 1 अलवर राज0 में स्थित किराये पर लिये गये परिसर को खाली करके उसने परिवादी को संभलवा दिया है तथा किराये की बकाया राशि 5,30,000/– रूपये भी जरिए डीडी परिवादी को भुगतान कर दी गई है। इसके अतिरिक्त जो प्रकरण पक्षकारान के मध्य लंबित हैं, उन सभी में वह आगामी तारीख पेशी पर अपना–अपना राजीनामा प्रस्तुत कर प्रकरणों को समाप्त करा लेंगें। प्रार्थिया द्व ारा पेश शपथ पत्र में किये गये कथनों के परिपेक्ष्य में अनुसंधान के प्रकम पर प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थतियों के मद्देनज़र मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

निष्कर्षतः प्रार्थीया **नीता जैन** की ओर से धारा–438 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थीया उक्त मुकद्में में अपनी गिरफ्तारी की सूरत में अन्वेषण अधिकारी/थानाधिकारी के संतोषप्रद **पचास हजार रूपये की राशि की जमानत तथा इतनी ही राशि** का स्वयं का मुचलका निम्न शर्तो के साथ प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे, तो उसे अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की जावे :–

1. कि वह प्रकरण से अवगत किसी व्यक्ति को डरायेगी–धमकायेगी नहीं,
2. कि वह अन्वेषण अधिकारी के बुलाये जाने पर अपेक्षित स्थान पर उपस्थित होगी और अनुसंधान में सहयोग करेगी।